

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] No. 79] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2019

का.आ. 84(अ).—जबिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे इसमें इसके पश्चात एनसीटीई कहा गया है) ने निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरटीई अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में कक्षा I से VIII के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्ति के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 तारीख 25 अगस्त, 2010 में प्रकाशित तारीख 23 अगस्त, 2010 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या एफ संख्या 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) के माध्यम से न्यूनतम अर्हताएं अधिकथित की हैं;

और जबिक, आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में उपबंध है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं या आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो केन्द्र सरकार, यदि ठीक समझे, तो अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि, जो भी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए जो पांच वर्ष से अधिक न हो, के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं में शिथिल दे सकती है;

और जबिक केन्द्रीय सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन छूट प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 8 नवम्बर, 2010 को राज्य सरकारों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

और जबिक, केन्द्रीय सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1391 (अ) 18 जून, 2012 द्वारा त्रिपुरा राज्य सरकार को 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए छुट प्रदान की है;

और जबिक, त्रिपुरा राज्य सरकार ने 29 मार्च, 2018 के अपने पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया, अर्थात्:—

- (क) 18 जून, 2012 को प्रदान की गई छूट 31 मार्च, 2015 तक विधिमान्य थी किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के 29 मार्च, 2017 के निर्णय के अनुसार 10,323 शिक्षकों (4612 अबर स्नातक शिक्षकों, 4666 स्नातक शिक्षकों और 1045 स्नातकोत्तर अध्यापकों) की सेवाएं 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हो गई। इस अविध के दौरान राज्य सरकार ने अपेक्षित अध्यापक परीक्षा आयोजित की किंतु विभिन्न प्रवर्गों के अधीन केवल 1920 अध्यापक ही भर्ती किये जा सके।
- (ख) त्रिपुरा राज्य की राज्य सरकार द्वारा वर्तमान भर्ती नीति की समीक्षा और संशोधित भर्ती नीति के अंगीकरण में की गई कार्रवाई पर ध्यान दिया गया।
- (ग) राज्य के पास केवल 4 डायट हैं जिसकी प्रवेश क्षमता 480 है तथा 2 अध्यापक शिक्षा के महाविद्यालय हैं जिसकी प्रवेश क्षमता केवल 650 है।
- (घ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 01.01.2018 को 6276 अवर स्नातक अध्यापकों की (प्रारंभिक) रिक्तियों सहित कुल 12,222 रिक्तियां हैं जिसके लिए राज्य सरकार लगातार शिक्षक भर्ती बोर्ड, त्रिपुरा से अभ्यर्थियों के चयन के लिए आग्रह करती रही है। तथापि, उक्त रिक्तियों के लिए राज्य के पास इतनी अधिक संख्या में अर्हित अभ्यर्थी नहीं है।

और जबिक, केन्द्रीय सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं में छूट के लिए त्रिपुरा सरकार के प्रस्ताव की जांच की और उस पर विचार किया।

- 2. अतः अब आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तारीख 23 अगस्त, 2010 के फा.सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित एनसीटीई द्वारा अधिसूचित न्यूनतम शिक्षकों की अर्हता के मानदंडों जहां तक कि वे कक्षा ! से VIII तक संबंधित है, के संबंध में त्रिपुरा राज्य को एतद्वारा छूट प्रदान करती है अर्थात्:-
- (क) कक्षा I से V में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो), और
- (ख) कक्षा VI से VIII में शिक्षक नियुक्ति के लिए एक-वर्षीय शिक्षा में स्नातक (बी.एड)
- 3. उपरोक्त छूट 2 वर्ष, 2 माह और 17 दिनों के लिए विधिमान्य होगी जोकि आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिदिष्ट 5 वर्षों की अविध का बचा हुआ भाग है जिसकी गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से की गई है और यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है; अर्थात्:—
- (i) राज्य सरकार आरटीई अधिनियम के मानदंडों के अनुसार स्कूलों में अवस्थिति/टोपोग्राफी/नामांकन के आधार पर पुनः अभिनियोजन/सुव्यवस्थीकरण के बाद शिक्षकों की आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाएगी और उसी के अनुरूप भर्ती करेगी;
- (ii) जैसा कि एनसीटीई की पूर्वकथित अधिसूचना में विर्निदिष्ट है कि एनसीटीई द्वारा तारीख 11 फरवरी, 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में त्रिपुरा सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा (जिसे इसके पश्चात् टीईटी कहा गया है) आयोजित कराएगी और प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जो टीईटी पास करते हैं;
- (iii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमों को एनसीटीई की पूर्वकथित अधिसूचना द्वारा दिए गए न्यूनंतम अर्हता मानदंडों के अनुरूप संशोधित करेंगे;
- (iv) नियुक्ति के मामले में, राज्य सरकार एनसीटीई के तारीख 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो समय-समय पर संशोधित की गई है और केवल उसके बाद ही इस अधिसूचना में छूट के बाद विनिर्दिष्ट की गई पात्रता के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा;
- (v) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन का अन्य राज्यों में भी व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए;

- (vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध एनसीटीई के पूर्वकथित अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और वृत्तिक अर्हताओं को न धारित करने वाले अध्यापकों को दो वर्षों की अविध में यह योग्यता अर्जित (प्राप्त) करना सुनिश्चित करेगी और जब तक कि वे एनसीटीई की अधिसूचना के अनुरूप न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त नहीं करते हैं तब तक मानदंडों में छुट के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को 'प्रशिक्ष शिक्षक' माना जाएगा;
- (vii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक ही बार दी जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन त्रिपुरा राज्य को और कोई छुट नहीं दी जाएगी।
- 4. एनसीटीई द्वारा अपने तारीख 11 फरवरी, 2011 के पत्र के माध्यम से जारी टीईटी दिशानिर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसार त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष, दो माह और 17 दिनों की अविध में अध्यापकों के लिए आयोजित टीईटी में निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे, अर्थात:
 - i. कक्षा l से V तक के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (या समकक्ष)
 - ii. कक्षा I से VIII तक के लिए स्नातक।

[फा.सं.18-1/2017-ईई.4/आईएस-3]

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019

S.O. 84(E).—Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII vide Notification number F. No. 61-03/20/2010/NCTE(N&S), dated 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, as amended from time to time;

And whereas, sub-section (2) of section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the guidelines on 8th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

And whereas, the Central Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act granted relaxation to the State Government of Tripura for a period up to 31st March, 2015 vide notification number S.O. 1391(E), dated the 18th June, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 2012;

And whereas, the State Government of Tripura vide its letter dated 29th March, 2018 submitted the following, namely:—

- (a) Extension accorded on 18th June, 2012 was valid till 31st March, 2015, but as per the Judgement of the Hon'ble Supreme Court of India on 29th March, 2017, services of 10,323 teachers (4612 Under Graduate Teachers, 4666 Graduate Teachers and 1045 Post Graduate Teachers) had come to an end on 31st December, 2017. During the intervening period, the State Government had conducted requisite teachers' examination but it could recruit only 1920 teachers under various categories.
- (b) The State Government of Tripura has undertaken process of review of existing recruitment policy and adoption of modified recruitment policy.

- (c) State has only 4 DIETs with intake capacity of 480 and 2 College of Teacher Education with intake capacity of 650 only.
- (d) As per information provided by the State Government, there are 12,222 vacancies including 6276 Under Graduate Teachers (Elementary) as on 01.01.2018, for which State Government has been constantly requesting Teacher Recruitment Board, Tripura for selection of candidates. However, State does not have such large number of qualified candidates for the said vacancies.

And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of Tripura for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants relaxation to the State of Tripura in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the NCTE as published in the Gazette of India vide F. No.61-03/20/2010/NCTE(N&S) dated 23rd August, 2010 as amended from time to time, in so far as they relate to classes I to VIII, namely:—
- (a) two-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes
 I-V; and
- (b) one-year Bachelors in Education (B. Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.
- 3. The aforementioned relaxation shall be valid for a period up to 2 year, 2 months and 17 days which is left over period out of 5 years specified under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act calculated from the date of this notification and shall be subject to the following conditions, namely:—
- (i) the State Government will work out the exact requirements of teachers after redeployment/ rationalisation based on the location/topography/enrolment in the schools and norms of RTE Act and carry out recruitments accordingly.
- (ii) as specified in the aforementioned notification of the NCTE, the State Government of Tripura shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as TET) in accordance with the guidelines dated 11th February, 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;
- (iii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;
- (iv) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE's notification dated 23th August, 2010 as amended from time to time, and only thereafter, consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;
- (v) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;
- (vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within a period of two years and till they acquire the minimum qualifications as per the NCTE notification, the teachers so appointed under relaxed norms shall be treated as 'trainee teachers'.
- (vii) the relaxation specified in this notification will be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 of the said Act shall be granted to the State of Tripura.
- 4. In accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the TET guidelines issued by the NCTE vide its letter dated 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of Tripura in respect of teacher appointments made in the State for a period of two year, two months and seventeen days, namely:—
- (i) Senior Secondary (or equivalent) with at least fifty per cent marks, for classes I to V; or
- (ii) Graduation, for classes I to VIII.

[F. No. 18-1/2017-EE.4/IS-3] MANEESH GARG, Jt. Secv.